

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2015—फाल्गुन 27, शक 1936

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2015

क्र. एफ-02-13-2014-साठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु “पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012” में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

(क) उक्त नीति के खण्ड—अ की कण्डिका—2 “परियोजना आवंटन प्रक्रिया” में शब्द “या निजी भूमि” को विलोपित किया जावे.

(ख) उक्त नीति में विद्यमान कण्डिका—2 के पश्चात् निम्न कण्डिकाएं अन्तःस्थापित की जावें—

“कण्डिका 2(अ)—निजी भूमि पर परियोजना स्थापना हेतु आवेदक निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेजों के साथ कभी भी परियोजना आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है. इन परियोजनाओं के लिये, विकासक को परियोजना आवंटन से 6 माह के अन्दर भूमि क्रय संबंधी दस्तावेजों के साथ परियोजना प्रतिवेदन देना होगा. परियोजना पूर्ण करने का अधिकतम समय परियोजना आवंटन से 24 माह होगा, जिसमें परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 06 माह का समय सम्मिलित है.

कण्डिका 2(ब)—वन भूमि पर परियोजना स्थापना हेतु कण्डिका—2 में शासकीय भूमि हेतु एक बार के विज्ञापन में अधिकतम 100 मेगावाट क्षमता हेतु आवेदन की सीमा लागू नहीं होगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.